THE LALIT KALA AKADAMI (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL, 1997

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the taking over of the management of the Lalit Kala Akadami for a limited period in the public interest and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, I introduce the Bill.

STATEMENT BY MINISTER

Targeted Public Distribution System:

खाद्य मंत्री तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): महोदय, एक सुविचारित और उपयुक्त रूप से कार्य कर रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि, मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए कार्य करने में असफल रहने, शहरी क्षेत्रों के प्रति उसके झुकाव तथा सुपुर्दगी के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था न होने के कारण व्यापक रूप से आलोचना हुई है। इस बात को समझते हुए, सरकार का गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके तथा सुपुर्दगी प्रणाली के बेहतर मॉनीटरिंग के साथ उन्हें विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुएं बेचकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने का प्रस्ताव है।

जैसाकि 1996-97 के केन्द्रीय बजट में कहा गया है, इस संबंध में शुरूआत अर्थात खाद्यान्न जारी करके करने का प्रस्ताव है, जिसकी सबसे अधिक जरूरत महसूस की जाती है।

प्रारंभ में योजना आयोग द्वारा प्रो० लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बताए गए तरीके का इस्तेमाल करके निकाले गए 1993-94 के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति परिवार, प्रति माह 10 कि०ग्रा० खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जैसाकि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी, राज्यों द्वारा गत 10 वर्षों में खाद्यान्न के औसत उठान को इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर रहे गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है।

इस औसत उठान में से जो मात्रा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की आबादी की आवश्यकता से अधिक है, उसे राज्यों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर अस्थायी आबंटन के रूप में आबंटित करने का प्रस्ताव है।

सरकार का सुनिश्चित रोजगार स्कीम और जवाहर रोजगार योजना के तहत लाभभोगियों के लिए भी 1 कि०ग्रा० चावल/गेहूं प्रति मानव दिवस की दर से विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है।

यह सर्वविदित है कि चावल और गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्यों को 1.2.1994 से संशोधन नहीं किया गया है। इसके बाद से चावल और गेहूं दोनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमशः तीन और चार बार वृद्धि की जा चुकी है। इन संशोधनों और अन्य आनुषंगिक खर्चों में वृद्धि और इसी समय लोगों के लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निम्नलिखित केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

	निर्गम मूल्य रु०/कि०ग्रा०				
	चावल		गेहूं		कुल राजसहायता
	कॉमन	फाइन	सुपर फाइन		करोड़ रु०
1. गरीबी रेखा से नीचे	3.50	3.50	—	2.50	8282.90
1. गरीबी रेखा से उपर	—	6.50	7.50	4.50	